महत्वपूर्ण

संख्या–677 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 22 मार्च, 2020**

विषय–कोविड–19 से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रों स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन के संबंध में दिशा–निर्देश। ।

महोदय,

कोविड–19 से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रों स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन के संबंध में दिशा–निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव हेतु उक्त दिशा–निर्देश के अनुसार अपने अधीन सर्व संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव

संख्या एवं दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

संलग्नकः यथोक्त

आज्ञा से,

22/3/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव

vk sir.go-com4

संख्या-677/पांच-5-2020

कोरोना वायरस (COVID 19) से बचाव हेतु व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों तथा मेट्रो–स्टेशन आदि का कीटाणुशोधन (disinfection)

कोरोना वायरस खांसी व छींक इत्यादि से निकली संक्रमित छोटी–छोटी बूंदों एवं संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। सभी संभावित संक्रमित सतहों का कीटाणुशोधन करके इस वायरस के फैलाव की रोकथाम की जा सकती हैं। बाजार में आसानी से उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर से बना घोल या तरल ब्लीच का उपयोग सतहों के कीटाणुशोधन के लिए किया जा सकता है। इस घोल को बनाना बहुत आसान है। इस घोल को बनाने की विधि निम्न प्रकार से है :–

घोल तैयार करने से पहले रबर के दस्ताने, मास्क और एप्रन पहनें, ताकि आपके हाथ व कपड़े सुरक्षित रहें।

(अ) **2% ब्लीचिंग घोल तैयार करने की विधि (ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके) –**

चरण 1: प्लास्टिक के पात्र में एक लीटर पानी लें।

चरण 2: प्लास्टिक के पात्र में 12 चाय वाले चम्मच (60 ग्राम) ब्लीचिंग पाउडर (लगभग 33% घनत्व) लें और गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए पात्र से थोड़ा पानी मिलायें।

चरण 3: इसे अच्छी तरह से तब तक मिलाते रहें जब तक पेस्ट चिकना न हो जाए और इसमें दाने न हों।

चरण 4: इस पेस्ट को पानी वाले पात्र में डालें और अच्छी तरह से मिलायें। प्रयोग से पहले अच्छी तरह से मिलाकर सुनिश्चित कर लें कि पात्र के नीचे कोई अवशेष नहीं बचा है।

चरण 5 : यह घोल सिर्फ तीन घण्टे तक इस्तेमाल किया जाए, तदोपरान्त नया घोल तैयार करें।

(ब) **1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल तैयार करने की विधि (तरह ब्लीच का उपयोग करके)**

चरण 1 : प्लास्टिक के पात्र में तरल ब्लीच (5% सोडियम हाइपोक्लोराइट) का एक हिस्सा लें और इसमें छः भाग पानी मिलायें।

चरण 2 : इसे अच्छी तरह मिलायें।

चरण 3 : शेष घोल के भण्डारण के लिए पात्र का ढक्कन बन्द कर दें।

चरण 4 : इस घोल का इस्तेमाल छः घण्टे तक या खराब/गंदा होने तक, जो भी पहले हो, किया जा सकता है।

संक्रमित सतहों को साफ व कीटाणुशोधित करने के लिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करें।

UPTSU द्वारा बनायी गयी सचिव कैम्प से प्राप्त हुआ है
विजय
22/03/2020

●

<u>तैयार किये गये घोल को कहां व कैसे इस्तेमाल करें :–</u>

उत्तर प्रदेश के चार शहरों में नवीन–कोरोना–वायरस का पता लगने के दृष्टिगत भीडभाड़ वाले विभिन्न स्थानों जहां पर अधिक संख्या में लोग इकटठे होते हैं, के लिए निम्नलिखित कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल विकसित किया गया है :–

1. **<u>समस्त व्यावसायिक स्थल</u>**

1.1 **सामान्य कीटाणुशोधन**

हॉल का फर्श	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
फर्श से सात फीट तक की ऊँचाई की दीवार की सतह	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
वाशरूम / बाथरूम / ट्ायलेट	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
	सामान्य साफ–सफाई पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।	
अक्सर सम्पर्क में आने वाली / छुई जाने वाली सतहें जैसे–इण्टरकाम फोन्स, लिफ्ट के बटन, दरवाज़े के हैण्डिल, एस्केलेटर के हैण्डरेल्स, लिफट के अन्दर की दीवारों की सतह, टवाएलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स।	प्रति घण्टा साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल

1.2 कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति या ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हों, द्वारा व्यावसायिक स्थल के भ्रमण की स्थिति में, कीटाणुशोधन –

कार्य–योजना :–

- उस व्यावसायिक स्थल को कम से कम तीन दिन के लिए पूर्णतः बन्द कर दिया जाए।
- पूरे व्यावसायिक स्थल के सभी सतहों को तीन दिन तक 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।

2. **बाजार में प्रत्येक दुकान का सामान्य कीटशोधन –**

हॉल का फर्श	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
फर्श से सात फिट तक की ऊँचाई की दीवार की सतह	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
वाशरूम / बाथरूम / ट्ायलेट	छः घण्टे में एक बार साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल
	तीन घण्टे में एक बार साफ करें	2% ब्लीचिंग घोल
	सामान्य साफ–सफाई पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।	
अक्सर सम्पर्क में आने वाली / छुई जाने वाली सतहें जैसे–इण्टरकाम फोन्स, दरवाज़े के हैण्डिल, टवाएलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स।	प्रति घण्टा साफ करें	1% हाइपोक्लोराइट घोल

3. **व्यावसायिक स्थलों में कोरोना–वायरस से बचाव हेतु सामान्य उपाय –**

- उक्त स्थलों के समस्त प्रवेश–द्वार पर अल्कोहल–आधारित–सैनिटाइज़र डिस्पेन्सर्स लगाये / रखे जायेंगे तथा हैण्डवाशिंग हेतु अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।
- व्यावसायिक स्थलों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई एवं कीटाणुशोधन हेतु अतिरिक्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाए।
- कुछ सामग्री जिनकी सफाई आसान नहीं है और जिनमें पानी एवं धूल को सोखने एवं समाहित करने की क्षमता है, (जैसेः समाचार–पत्र, पत्रिकायें, साफ्ट ट्वायज आदि) को सार्वजनिक पहुंच से दूर करने की सलाह दी जाती है।
- व्यवसायिक स्थलों को हवादार रखने से (खिड़की इत्यादि खोलकर) संक्रमण के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है।
- कोरोनावायरस के फैलने से बचाव के तरीकों के प्रति स्टाफ में जागरूकता पैदा की जाए।
- व्यावसायिक स्थलों में भीड़ से बचाव किया जाए।
- डिजिटल लेने–देन को बढ़ावा दिया जाए।

- **व्यवसायिक स्थलों में ग्राहकों से बातचीत के दौरान तथा सिनेमा हाल में प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पंक्ति में दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाए।**

4. बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं सार्वजनिक परिवहन साधनों में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीच घोल से सामान्य कीटाणुशोधन –

कार्य–योजना–

- फर्श एवं दीवारों (7 फीट तक) को 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।
- अक्सर सम्पर्क में आने वाली/छुई जाने वाली सतहें (लिफ्ट के बटन, दरवाज़े के हैण्डिल, एस्केलेटर के हैण्डरेल्स, लिफट के अन्दर की दीवारों की सतह, वाशरूम/ट्रायलेट, सभी नल एवं सभी काउन्टर्स) को 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक चार घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाए।
- **बसों, मेट्रो ट्रेन एवं टैक्सी का कीटाणुशोधन** – सभी सतहें, सीटे, हैण्डरेल्स, Stanchion (जैसे – अपराइट बार, सपोर्ट या बैरियर का फ्रेम) का प्रतिदिन 1% हाइपोक्लोराइट घोल से प्रत्येक छः घण्टे के अन्तराल पर पूर्णतः कीटाणुशोधन किया जाये।

ध्यान देने योग्य महत्वूपर्ण बातें :–

सतह अथवा वस्तुएं जो ठोस चीजों से बनी हुई हैं जैसे स्टील, प्लास्टिक इत्यादि में कोरोना वायरस अधिक देर तक सक्रिय रहता है, इसलिए उन्हें प्रत्येक तीन घण्टे में (2%ब्लीचिंग पाउडर के घोल से) या छः घण्टे में (1%सोडियम हाइपोक्लोराइट से) अवश्य रूप से पूर्णतः कीटाणुशोधन करें।